संख्या-105/2017/1626/22-2-2016-17(394)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 फरवरी, 2017***

विषय:- जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी माला पाठक पत्नी श्री भोला पाठक, निवासी जनपद-फैजाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34884/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-12-09-2016 दिनांक 26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी माला पाठक पत्नी श्री भोला पाठक, निवासी- सोनवर्षा, थाना-इनायत नगर, जनपद-फैजाबाद की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 23-05-98 को महिला बन्दी ने अपने 02 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर 01 महिला की हत्या कर अपराध कारित किया है। उक्त अपराध के लिए महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-428/1998 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत मा0 अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद द्वारा दिनांक 03-03-2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 26.05.2016 तक 10 वर्ष 03 माह 03 दिन की अपरिहार एवं 13 वर्ष 06 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 67 वर्ष है। जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति ने महिला बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध का अवसर होने व जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा तथा जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित महिला बन्दी माला पाठक (बन्दी संख्या-2513/07) पत्नी श्री भोला पाठक निवासी-जनपद-फैजाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-105/2017/1626/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in